

प्रेषक

उपायुक्त, फरीदाबाद।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त हरियाणा सरकार  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, चण्डीगढ़

क्रमांक 2342 /आर0ए0 दिनांक 20/11/17

विषय:-

**Fixation of Collector Rates for the year 2017-2018 for the purpose of registration if immoveable property.**

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3174-स्टर-1-2017/7296, दिनांक 3.11.2017 के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामलें में आपको अनुरोध अवगत कराया जाता है कि संशोधित कलैक्टर रेट वर्ष 2017-2018 भिजवाने बारे रिपोर्ट सब रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब रजिस्ट्रारों से प्राप्त की गई है। रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2017-2018 की कलैक्टर रेट जो अप्रैल 2017 में लागू हुए थे उसके बाद से मार्केट रेट में बदलाव नहीं हुआ है। कलैक्टर रेटों में किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि अप्रैल 2017 में लागू कलैक्टर रेटों को ही यथावत जारी रखा जाना उचित होगा।

पृ0 क्रमांक

/आर0ए0 दिनांक

कृते: उपायुक्त, फरीदाबाद।

इसकी एक प्रति आयुक्त फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते: उपायुक्त, फरीदाबाद।